न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा म०प्र०

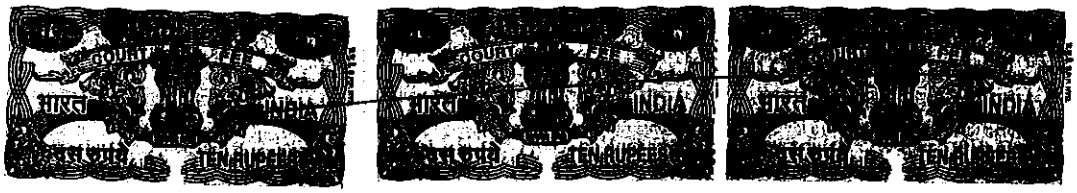

R 5337-IV/16 Rs 30/-

सुरुदीन तनय पदोले केवट उम्र- 55 साल पेशा- व्यापार निवासी शहर रीवा मोहल्ला पुष्पराजनगर तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० == आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

01- कृष्णा देवी बेवा पत्नी रामाकान्त प्रसाद पेशा- गृहकार्य
निवासी शहर रीवा मोहल्ला पुष्पराज नगर तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

02- सत्यव्रत पाण्डेय तनय रामाकान्त प्रसाद ==== अना०/गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री राधेश्याम सिंह द्वारा प्रस्तुत। 22.7.16

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक- 5/5/2016
प्रकरण क्रमांक- 96अ/12/15 जरिये राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

==================================

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०.

==================================

महोदय,

निगरानी को समझने के लिए निम्न तथ्य संक्षेप में दिए जा रहे हैं:-

(1) यह कि पटवारी हल्का निपनिया ने 1/5/16 को आवेदक के पास आकर एक कोरे कागज में दस्तखत कराकर निगरानीकर्ता से मौखिक रूप से कहा कि दिनांक 2/5/16 को भूमि नम्बर 197 का सीमांकन होना है यह कहकर चला गया किन्तु पटवारी दिनांक- 2/5/16 को या कभी भी सीमांकन करने नहीं आया व न ही 2/5 /16 को कोई सकीमांकन की कार्यवाही ही हुई। आवेदक /निगरानीकर्ता स्वयं दिए गए समय पर स्वयं भूमि नम्बर 197 के बगल में बने घर में बैठकर देखता रहा किन्तु उक्त दिनांक को कोई सीमांकन नहीं किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5337–दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त रीवा गिर्द तहसील जिला रीवा के प्रकरण कमांक 96 अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 5–5–2016 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने राजस्व निरीक्षक रीवा र्गि के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय अभिलेख में उसके नाम अंकित भूमि सर्वे कमांक 197 रकबा 0.043 है. के सीमांकन की मांग की। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 96 अ–12/15–16 सीमांकन की सूचना जारी की है। हलका पटवारी के साथ दिनांक 2–5–16 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन बनाया, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को आपत्ति आवेदन पर सुनकर प्रकरण कमांक 96 अ–12/15–16 में आदेश दिनांक 5–5–2016 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । किन्तु यह भी निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह स्वयं की भूमि का सीमांकन आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके	

कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 5–5–16 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य